

140

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म० प्र०



R-2422-III/14

P-201-

393
18-7-14

मकसूदन प्रसाद पिता रामधनी साकेत पागल निवासी शंकरपुर, तहसील त्योंधर, जिला रीवा द्वारा सरपरस्त बली पत्नी मीना पत्नी मकसूदन प्रसाद निवासी शंकरपुर, तहसील त्योंधर, जिलारीवा म० प्र०

—आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. पन्ना लाल पिता विश्वनाथ साकेत निवासी शंकरपुर, तहसील

प्रवेश मिश्रा 250
18-7-14

त्योंधर, जिलारीवा म० प्र०

2. शासन म० प्र०

—अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्ता

राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट, तहसील त्योंधर जिलारीवा म० प्र० के द्वारा प्र० क्र० 37अ/2/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू रीवा संविदा

शंकरपुर कोर्ट रीवा

कमांक 2369
द्वारा आज दिनांक को प्राप्त

राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानी के सूत्र तथ्य:-

यह कि, आराजी नं. 49/2 ग रकवा।. 012 है. सा० शंकरपुर, प० ह० शंकरपुर, रा० नि० चाकघाट के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के आवेदन किये जाने पर उक्त आराजी का सीमांकन पर आदेश दिनांक 20.6.2014 को प्लेट किया गया तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन मे यह उल्लेख किया गया कि उक्त आराजी पर मकसूदन पिता रामधनी का कब्जा है जबकि आवेदित आराजी नं. 49/2 ग से संलग्न आवेदक की आराजी नं. 49/4 है जिस पर आवेदक का पुत्रैनी कब्जा देखल है लेकिन किये गये सीमांकन पर वगैर कोई सूचना किये बिधान विपरीत अलीच्य सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिससे पीड़ित होकर निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।


निवासी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0R/2422-III/14

जिला-रीवा

मकसूदन प्रसाद साकेत/पन्नालाल साकेत

(1)	(2)	(3)
15.03.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	